



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

कार्यपालन यंत्री (सिविल), छत्तीसगढ़ पारेषण कंपनी मर्यादित भिलाई-3, जिला दुर्ग द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत एकटकनार (मोहला) में 132/33 के. व्ही विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने हेतु पटवारी हल्का नं. 07 एवं खसरा नं. 32/1 के रकबा 4.046 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 15/09/2016

स्थान: रायपुर


(बी. एल सरन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर